WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

MAY 2024

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax: 0121-4346686**

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Prashant Kumar

INDEX

- धोखाधड़ी रोकने के लिए जांच - परख बढ़ाए बैंक
- एक अक्टूबर से लोन संबंधी सभी प्रमुख तथ्यों का विवरण दें बैंक
- बैंक एजेंटों पर आरबीआई की नकेल, ग्राहकों को देनी होगी कर्ज ऑफर की पूरी जानकारी
- भुगतान एग्रीगेटर के लिए नियमों का मसौदा जारी
- साइबर ठगी से जुड़े खातों को बैंक अब खुद बंद कर सकेंगे
- आधार एटीएम की मदद से घर पर ही नकदी पा सकेंगे
- 31 मई तक आधार से लिंक करें पैन, नहीं देना होगा ज्यादा कर
- एआइ की मदद से निर्यात बढ़ाने की तैयारी
- क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी भुगतान पर देना पड़ेगा एक फीसदी शुल्क
- ई - फाइलिंग की सुविधा, वादों की होगी वर्चुअल सुनवाई
- **Banks can't charge additional than key facts statement, says RBI**
- **Govt aims to make India attractive for manufacturing, services: Sitharaman**
- **CBDT extends deadline for charitable trusts' registration till June 30**
- Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

धोखाधड़ी रोकने के लिए जांच - परख बढ़ाएं बैंक

वित्त मंत्रालय चाहता है कि बीओबी वर्ल्ड एप घोटाले और इसी तरह के अन्य वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगाने के लिए बैंक तथा वित्तीय संस्थान केवाईसी (अपने ग्राहक जानो) और जांच- परख को बढ़ाने के लिए काम करें। सूत्रों ने कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बैंकिंग सेवाएं देने वाले दुकानदारों (मर्चेंट) तथा बैंकिंग प्रतिनिधि को जोड़ने से पहले बैंको और वित्तीय संस्थानों को इनकी गहन जांच - परख करनी चाहिए। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार , 2023 के दौरान वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के 11, 28, 265 मामले सामने आए। इन मामलों में कुल 7,488.63 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई।

इस तरह के कदम से ना केवल धोखाधड़ी पर अंकुश लग सकेगा बल्कि वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत किया जा सकेगा। दुकानदारों और बैंकिंग प्रतिनिधि के स्तर पर आंकड़ों (डेटा) की सुरक्षा को मजबूत करने की जरुरत है, क्योंकि इनके स्तर पर डाटा में सेंध लगने की आशंका अधिक होती है। ऐसे में आरबीआइ को बैंकों और वित्तीय संस्थानों को साइबर धोखाधड़ी के 'हाटस्पाट' पर बैंकिंग प्रतिनिधियों को जोड़ने से पहले उनकी पूरी जांच- परख करनी चाहिए। इसके अलावा धोखाधड़ी में इस्तेमाल सूक्ष्म एटीएम को भी ब्लाक किया जाना चाहिए।

SANGAL PAPERS LTD.

Manufacturing Papers Based on Customer Needs

Newsprint Paper, Superior Kraft Paper, Construction/Pastel Paper, Envelope Grade Paper, Ribbed Kraft Paper, High Bulk Paper Writing/Printing Paper, MG poster Grades & Other Specialized Grades Paper

Regd. Office/ Works
Village Bhainsa, 22 Km.
Meerut-Mawana Road, Mawana
Ph.: 01233-271137, 271464, 271515, 27432

- वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस कदम से वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र हो सकेगा मजबूत
- दुकानदारों और बैंकिंग प्रतिनिधि के स्तर पर डाटा की सुरक्षा को मजबूत करने की जरुरत

डिजिटा स्थापित करने पर विचार कर रहा आरबीआई

बढ़ती साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों के तहत आरबीआइ अवैध ऋण देने वाले एप की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए एक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी (डिजिटा) स्थापित करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित एजेंसी डिजिटल शरण देने वाले एप के सत्यापन में मदद करेगी और सत्यापित एप का एक सार्वजानिक रजिस्टर बनाएगी।

एक अक्टूबर से लोन संबंधी सभी प्रमुख तथ्यों का विवरण दें बैंक

आरबीआइ ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया कि वे लोन लेने वाले खुदरा ग्राहकों और एमएसएमई को एक अक्टूबर से सभी प्रमुख तथ्यों का विवरण (केएफएस) उपलब्य कराएं। इसमें लोन समझौता नियमों से लेकर ब्याज की लागत शामिल है। अभी वाणिज्यिक बैंकों, आरबीआइ रेगुलेटेड डिजिटल कर्ज देने वाली इकाइयां (आरई) और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों से खुदरा लोन लेने वाले लोगो को प्रमुख तथ्यों का विवरण दिया जाना अनिवार्य है।

आरबीआइ ने कहा कि विभिन्न रेगुलेटेड इकाइयों की ओर से पेश किए जा रहे वित्तीय उत्पादों पर पारदर्शिता बढ़ाने और सुचना में भिन्नता को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। केएफएस लोन समझौते के मुख्य तथ्यों का एक विवरण है जिससे समझौते को सरल और आसान भाषा में समझा जा सकता है। इसे लोन लेने वालों को एक मानक रूप में प्रदान किया जाता है।

आरबीआइ ने कहा है कि सभी वित्तीय संस्थानों को इन नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक प्रणाली और लागू करने के संबंध में गाइडलाइंस जल्द लागू करनी होंगी। नए नियम एक अक्टूबर के बाद लिए जाने वाले सभी नए और मौजूदा ग्राहकों की ओर से लिए जाने वाले लोन पर लागू होंगे। आरबीआइ का कहना है कि थर्ड पार्टी सेवा प्रदाता के पक्ष में लिए जाने वाले किसी भी शुल्क की सूचना भी अलग से दी जाए। यह नियम क्रेडिट कार्ड पर लागू नहीं होंगें।

- आरबीआइ ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दिया निर्देश
- क्रेडिट कार्ड पर लागू नहीं होंगें केंद्रीय बैंक के नए नियम

बैंक एजेंटों पर आरबीआई की नकेल, ग्राहकों को देनी होगी कर्ज ऑफर की पूरी जानकारी

आरबीआई ने बैंकों पर और नकेल कसी है। बैंकों के एजेंटों के रूप में काम करने वाले कर्ज सेवा प्रदाताओं यानि एलएसपी को उपलब्ध सभी लोन ऑफर्स की जानकारी कर्ज लेने वाले ग्राहकों को देनी चाहिए, ताकि वे सही फैसले ले सकें।

कई एलएसपी कर्ज उत्पादों के लिए एकत्रीकरण सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को उधार देना जो कर्जदाता के निर्णय को नियंत्रित करने या प्रभावित करने की स्थिति में है, चिंता का विषय हो सकता है, यदि ऋणदाता ऐसे उधारकर्ताओं से दूरी नहीं रखता है। इसमें कहा गया है कि इस तरह के उधर में नैतिक खतरे शामिल हो सकते हैं। इससे मुल्य निर्धारण और ऋण प्रबंधन में समझौता होने की आशंका है।

ग्राहकों को मिलेगी डिजिटल जानकारी

मसौदे में प्रस्ताव है कि एलएसपी जिन भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ काम कर रहा है, उधारकर्ता की जरूरतों के अनुसार उपलब्ध सभी लोन ऑफर्स को डिजिटल तरीके से मुहैया कराया जाना चाहिए। इसमें लोन ऑफर्स वाले संस्थान का नाम, कर्ज की रकम और अवधि, वार्षिक ब्याज और अन्य नियम एवं शर्तें शामिल हों।

भुगतान 'एग्रीगेटर' के लिए नियमों का मसौदा जारी

आरबीआइ ने भुगतान एग्रीगेटर के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है। उसने 31 मई तक टिप्पणियां मांगी है। इसका उद्देश्य भुगतान परिवेश को और सुदृढ़ करना है। भुगतान एग्रीगेटर वे मध्यस्थ इकाइयां हैं, जो ग्राहकों और कारोबारियों के बीच भुगतान को सुगम बनती हैं मसौदे के अनुसार, भुगतान एग्रीगेटर के भौतिक रूप से 'पाइंट आफ सेल 'गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals,

Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:
204, M.J. Shopping Centre,
3, Veer Savarkar Block,
Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-22217636

आरबीआई नियमों में बदलाव पर बैंकों को अतिरिक्त अधिकार देने की तैयारी कर रहा

साइबर ठगी से जुड़े खातों को बैंक अब खुद बंद कर सकेंगे

साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। इसके तहत बैंकों को साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले संदिग्ध खातों को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति मिल सकेगी। इसके लिए नियमों में बदलाव किए जाएंगे।

बताया जा रहा है कि आरबीआई, गृह मंत्रालय की साइबर धोखाधड़ी में लड़ने वाली एजेंसी से मिली जानकारी के आधार पर बैंकों के लिए अपने दिशा- निर्देशों में संशोधन करेगा। इसके जरिए बैंकों को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए जाएंगे ताकि वह तत्काल अपने स्तर पर संदिग्ध बैंक खातों को बंद कर सके। इसके अलावा ठगों की जानकारी का इस्तेमाल उनके बाकी खातों को भी बंद करने के लिए किया जाएगा। वर्तमान में बैंक पुलिस द्वारा साइबर अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ही संदिग्ध खातों को बंद करते हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2021 से अब तक साइबर ठगी के जरिए संदिग्ध खातों में लगभग 1.26 अरब डॉलर की रकम आई है। वहीँ, हर दिन करीब चार हजार धोखाधड़ी वाले खाते खोले जाते हैं। पिछले तीन महीनों में सरकार ने पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल किए गए करीब 2.5 लाख खातों को निलंबित किया है।

- 1.26 अरब डॉलर के करीब आए हैं 2021 से अब तक साइबर ठगी के जरिए फर्जी खातों में

ठगी के शिकार लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

साइबर ठग लोगों के बैंक खातों और वॉलेट से पैसा उड़ा कर अपने या फर्जी तरीके से खोले गए खातों में ट्रांसफर कर लेते हैं। पीड़ितों को कार्रवाई के लिए सबसे पहले पुलिस या साइबर अपराध शाखा में रिपोर्ट दर्ज करानी होती है। इस प्रक्रिया में कभी -कभी कई दिन लग जाते हैं। नई व्यवस्था में पीड़ितों को पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की जरुरत खत्म हो जाएगी।

संदिग्ध लेनदेन वाले खातों पर निगरानी बढ़ी

साइबर धोखाधड़ी और संदिग्ध लेनदेन में शामिल खातों पर बैंकों ने शिकंजा कस दिया है। हाल ही में कुछ बैंकों ने ऐसे कई खातों को ब्लॉक किया है। इस तरह के लेनदेन को 'मनी म्यूल' कहा जाता है। मनी म्यूल खाता उसे कहा जाता है, जिसका उपयोग अवैध रूप से अर्जित धन प्राप्त करने और भेजने करने के लिए किया जाता है।

पांच बैंक कर रहे जांच

विशेषज्ञों के अनुसार, एचडीएफसी बैंक सहित कम से कम पांच भारतीय बैंक हैं, जो मनी म्यूल लेनदेन पर नजर रख रहे हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी विश्लेषण विशेषज्ञों का कहना है कि बैंक पहले संदिग्ध मनी म्यूल खातों को ब्लॉक करते हैं और फिर जांच शुरू करते हैं।

ग्राहक को डिजिटल कर्ज का पूरा विवरण मिलेगा

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मसौदा प्रस्ताव पेश हुआ

डिजिटल कर्ज उत्पादों में पारदर्शिता बढ़ाने और ग्राहक हितों को सुरक्षित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने नियामक ढांचे के मसौदा प्रस्ताव पेश किया। इसमें कहा गया है कि ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) को अपने पास उपलब्ध सभी कर्ज प्रस्तावों की जानकारी संभावित कर्जदारों को देनी होगी, जिससे उनके लिए फैसला करना आसान होगा।
आरबीआई ने इस मसौदा प्रस्ताव पर 31 मई तक विभिन्न पक्षों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। एलएसपी विनियमित बैंकिंग इकाई (आरई) का एजेंट होता है, जो ग्राहक जोड़ने, मुल्य - निर्धारण करने, निगरानी और विशिष्ट ऋण की वसूली या ऋण पोर्टफोलियो में मौजूदा आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों के अनुरूप काम करता है।

आरबीआई ने डिजिटल ऋण- कर्ज उत्पादों में पारदर्शिता पर जारी इस मसौदा परिपत्र में कहा है कि एलएसपी को कर्जदार की जरुरत को ध्यान में रखते हुए सभी इच्छुक कर्जदाताओं के पास उपलब्ध प्रस्तावों का डिजिटल ब्योरा मुहैया कराना चाहिए। इस डिजिटल ब्योरे में कर्ज की पेशकश करने वाली इकाई का नाम, कर्ज की राशि और अवधि के अलावा वार्षिक प्रतिशत दर एवं अन्य शर्तों की जानकारी होनी चाहिए।

आरबीआई ने जताई थी चिंता

आरबीआई ने पिछले साल दिसंबर में एक मसौदा प्रारूप जारी किया था। उसमे कहा गया था कि ऋणदाता के निर्णय को नियंत्रित करने या प्रभावित करने की स्थिति में मौजूद लोगों को कर्ज देना चिंता का विषय हो सकता है। मसौदा प्रारूप में कहा गया था कि इस तरह की उधारी में नैतिक खतरे का मुद्दा भी शामिल हो सकते हैं और मुल्य निर्धारण एवं ऋण प्रबंधन में एक तालमेल की स्थिति बन सकती है।

SARU COPPER ALLOY SEMIS PVT. LTD.

Manufacturer & Exporters of:

Continuous Cast Cold Drawn Copper Alloy Rods & Bars in Sizes upto 160 mm to all National and International Specifications in Standard Length of 3 mt.

Saru Nagar, Sardhana Road, Meerut- 250001
Ph. No.: 0121-2556279, 2554126, 2554160
Fax: 0121-2558402
Email: sales@sarucopper.com, info@sarocopper.com
Website: www.sarucopper.com

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्राहकों के लिए शुरू की नई सुविधा

आधार एटीएम की मदद से घर पर ही नकदी पा सकेंगे

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ऑनलाइन आधार एटीएम (एईपीएस) सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से ग्राहक घर बैठे ही नकदी पा सकेंगे। उन्हें बैंक या पास नजदीकी एटीएम बूथ पर जाने की जरुरत नहीं होगी। इस सेवा में स्थानीय डाकिया घर पर'नकद पहुंचाएगा।

यह भुगतान सेवा पूरी तरह आधार सिस्टम पर आधारित है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके लेनदेन कर सकता है। इसके लिए बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना जरुरी है। इस सुविधा के जरिए नकदी निकासी के अलावा बैलेंस पता करना और खाते का विवरण निकाला जा सकता है।

इस संबंध में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि घर बैठे तत्काल नकद प्राप्त करने के आधार एटीएम सुविधा का इस्तेमाल कर सकते है। इससे समय भी बचेगा।

डाकिया घर माइक्रो एटीएम लेकर पहुंचेगा

घर बैठे नकदी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके बाद डाकिया माइक्रो एटीएम लेकर ग्राहक के घर पहुंचेगा। ग्राहक को केवल बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। आधार कार्ड की जरुरत नहीं होगी। पहचान सत्यापित होते ही डाकिया नकदी दे देगा। यह पैसा ग्राहक के बैंक खाते से कट जाएगा।

कितना शुल्क लगेगा

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अनुसार, घर पर नकद मांगने के लिए ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। हालांकि यह डोर स्टेप सेवा का इस्तेमाल करने पर बैंक सेवा चार्ज वसूल सकता है।

इतनी रकम मंगा सकेंगे

- राष्ट्रीय भुगतान निगम ने प्रति एईपीएस लेनदेन पर अधिकतम लेनदेन सीमा 10,000 रुपये है।
- ग्राहकों को लेनदेन के लिए सही बैंक चुनना होगा। सिर्फ प्राथमिक खाते से ही रकम' काटी जाएगी।

ऐसे कर पाएंगे इसका इस्तेमाल

- सबसे पहले वेबसाइट (https://ippbonline.com) पर जाकर डोर स्टेप बैंकिंग के विकल्प को चुनें। यहां नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल , पता, पिन कोड, करीबी डाकघर और उस बैंक का नाम दर्ज करे जिसमे आपका खाता है।
- इसके बाद आपको Agree के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद कुछ ही देर में डाकिया आपके घर पर पहुंचकर नकद निकासी प्रक्रिया को पूरी करेगा।

31 मई तक आधार से लिंक करें पैन, नहीं देना होगा ज्यादा कर

आयकर विभाग ने पैन से आधार लिंक नहीं करने वालों को राहत दी है। विभाग ने कहा, अगर ऐसे लोग 31 मई तक दोनों को लिंक कर लेते हैं तो उन्हें ज्यादा टीडीएस (सोर्स पर कर कटौती) नहीं देना होगा। आयकर नियमों के मुताबिक, अगर पैन - आधार लिंक नहीं है तो टीडीएस तय दर से दोगुना ज्यादा काटा जाता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा, करदाताओं से शिकायतें मिली हैं कि लेनदेन करते समय टीडीएस/ टीसीएस की कम कटौती में उन्होंने चूक किया है। ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए तय किया गया है कि 31 मार्च, 2024 तक किए गए लेनदेन के लिए और ऐसे मामलों में जहां पैन 31 मई को या उससे पहले आधार से लिंक हो जाता है तो उच्च दर पर टैक्स नहीं कटेगा। इस तरह के मिले नोटिस वाले करदाताओं को फायदा होगा।

एआइ की मदद से निर्यात बढ़ाने की तैयारी

वाणिज्य विभाग अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की मदद से निर्यात बढ़ाने की तैयारी में जुट गया है। एआइ की मदद से दुनिया के बाजार में निकलने वाली मांग का पहले पता लग जाएगा और फिर उन देशों को ध्यान में रखकर निर्यात बढ़ाने की तैयारी की जाएगी। निर्यातको के साथ इन आंकड़ों को शेयर किया जाएगा। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक एआइ की मदद से यह पता चल जाएगा कि भविष्य में किन देशों के ग्राहकों को कितने माल की जरुरत होगी। इस प्रकार का अनुमान प्राप्त होने से निर्यातक पहले से तैयारी कर सकेंगे और इससे बर्बादी को भी रोका जा सकेगा।

अभी मुख्य रूप से 30 प्रकार की वस्तुओं का ही निर्यात किया जाता है। एआइ की मदद से कई ऐसी वस्तुओं के निर्यात की संभावना का पता चल सकेगा, जिसका अभी निर्यात नहीं किया जाता है। एआइ की मदद से निर्यातक सही समय पर कच्चे माल की खरीदारी कर सकेंगे। कंटेनर की मांग कैसी रहने वाली है और लाजिस्टिक लागत का पहले ही अनुमान लगाया जा सकता है। कस्टम क्लीयरेंस , आर्डर ट्रैकिंग जैसे काम में भी एआई की मदद ली जा सकती है। निर्यातको ने बताया कि वैश्विक व्यापार से जुड़ी दुनिया की कई बड़ी निर्यातक कंपनियां निर्यात- आयात के लिए एआइ का इस्तेमाल शुरू कर चुकी हैं। भारत में भी इस प्रकार की पहल हो चुकी है।

Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS
(150m from Kirti Nagar Fire Station)
Noida: A-32, Sector 63
(Off Nh24, Opp. Indirapuram)
MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)
Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

- इसके जरिये दुनिया के बाजार में निकलने वाली मांग का पहले लग जाएगा पता
- कस्टम क्लीयरेंस, आर्डर ट्रैकिंग जैसे काम में भी मिल सकेगी मदद

चीन जैसे देश से प्रतिस्पर्धा करने के लिए निर्यात में एआइ की मदद जरुरी है। सरकार के स्तर पर भी इस प्रकार की तैयारी हो रही है।

एआइ की मदद से निर्यात के लिए तलाशे जाएंगे नए बाजार

वाणिज्य मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 -24 में वस्तु निर्यात के लिए नए बाजार की तलाश पर बड़े स्तर पर काम किया गया और एआइ की मदद से इस काम को और तेज किया जाएगा। गत वित्त वर्ष में कई देशों में पहली बार इंजीनियरिंग गुड्स , फार्मा और इलेक्ट्रानिक्स जैसे आइटम का निर्यात किया गया , जिससे इन वस्तुओं के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज करने में मदद मिली। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक गत वित्त वर्ष में पहली बार साओ टोमे , मकाओ, जार्जिरा, बिस्साओं, बेलिजे जैसे देश में इंजीनियरिंग गुड्स का निर्यात किया गया। वैसे ही पहली बार विसेंट, मंगोलिया, अल सल्वडोर, तुर्केमेनिस्तान, हांडर्स जैसे देशों में मोबाइल फोन का निर्यात किया गया।

INDKRAFT EXPORTS

Manufacturers and Exporters of:

Indian Handicrafts, Silk, Woollen, Viscose, Cotton Shawls, Stoles, Pareos & Scarves

Bombay Bazar, Meerut Cantt- 250001
Phone: 0121-2664103, 4034103, 4322020
Fax: 91-121-2660063
Mobile: 9536202020
E-mail: info@indkrafts.com

क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी भुगतान पर देना पड़ेगा एक फीसदी शुल्क

अगर आप क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक फीसदी तक शुल्क देना पड़ सकता है। यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मई से इस शुल्क को लागू करेगा। हालांकि, यह शुल्क तब लगेगा, जब आप एक साइकल में यस बैंक से 15,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान करेंगे। अगर कोई ग्राहक 15,000 रुपये से ज्यादा का यूटिलिटी बिल का भुगतान करता है तो उसे एक फीसदी शुल्क पर 18 फीसदी जीएसटी भी देना होगा। आईडीएफसी फर्स्ट ने इसकी सीमा 20,000 रुपये रखी है। दूसरी ओर बैंकों के लिए जो काम करने वाले भुगतान गेटवे सेवा देते हैं वे अक्सर शिक्षा, किराना और यूटिलिटी जैसी श्रेणियों पर एमडीआर शुल्क पर छूट देते हैं।

- यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक मई से करेगा शुरुआत

ई-फाइलिंग की सुविधा, वादों की होगी वर्चुअल सुनवाई

मेरठ समेत प्रदेश के सभी जनपदों में ई -फाइलिंग शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रजिस्ट्रार जनरल ने यह आदेश जारी किए हैं। उन्होंने प्रदेश के समस्त जिला जजों को अपने -अपने जिले में ई-फाइलिंग केंद्र तत्काल चालू करने के निर्देश दिए हैं। इसमें वादों की वर्चुअल सुनवाई की जाएगी।

रजिस्ट्रार जनरल ने यह आदेश जारी कर दिया है। ई-फाइलिंग केंद्र के माध्यम से वादकारियों को शपथ पत्र देने, आधार कार्ड के साथ चेहरा सत्यापन की सुविधा मिलेगी। सीसीटीवी के साथ स्कैनर, कंप्यूटर, विशेषज्ञ कर्मी आदि की व्यवस्था ई-फाइलिंग केंद्र पर की जाएगी। अधिवक्ता याचिका दायर करने के साथ ही आनलाइन बहस भी कर सकेंगे।

मैं खुद ई-फाइलिंग व्यवस्था शुरू करने के लिए अपनी निधि से बजट प्रदान करूंगा। सभी तरह की सुविधा ई-फाइलिंग केंद्र में प्रदान की जाएगी। व्यवस्था शुरू होने से वादकारियों के साथ अधिवक्ताओं को भी प्रयागराज जाने से मुक्ति मिलेगी।

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी

विघुत भार बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन

पशिचमांचल विघुत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से उपभोक्ताओं से विघुत संयोजन का भार बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की गई है। आनलाइन लोड बढ़ाने के लिए उपभोक्ता को किसी कार्यालय या अधिकारी - कर्मचारी के पास जाने की जरुरत नहीं है। उपभोक्ता स्वयं डिस्काम की वेबसाइट pvvnl.org के अन्तर्गत कंज्यूमर कॉर्नर में दिए गए लिंक पर लॉगिन कर विघुत भार बढ़वा सकते हैं।

Banks can't charge additional than key facts statement, says RBI

Banks and other regulated entities cannot charge additional fees throughout the loan term which are not mentioned in the Key Fact Statement without the consent of the borrower, the Reserve Bank of India said in a notification on Monday. The notification said that all new retail and MSME term loans sanctioned on or after October 1, including fresh loans to existing customers, must adhere to the KFS guidelines without exception.
"Any fees, charges, etc. which are not mentioned in the KFS, cannot be charged by the REs to the borrower at any stage during the term of the loan, without explicit consent of the borrower," the regulator said.

STAG INTERNATIONAL

Manufacturers & Exporters of:
Sports Goods
A-19/20, Udyog Puram, Delhi Road, Meerut- 250103
Ph. No.: 0121-2440976, 2440993, 2441035
Fax: 0121-2441009
Email: stagin@gmail.com, Info@stag.in

Among others, the KFS will include Annual Percentage Rate (APR), which is the annual cost of credit to the borrower that includes the interest rate and all other charges associated with the credit facility.
The central bank had mandated during February's Monetary Policy that all regulated entities must provide a Key Fact Statement (KFS) to retail and MSME borrowers, comprising crucial information including the all-inclusive annual percentage rate (APR) and details on recovery and grievance redress mechanisms.
KFS is a statement of key facts of a loan agreement, in simple and easier-to-understand language, provided to the borrower in a standardised format.
The RBI specified in the notification that the KFS should be written in a language comprehensible to the borrowers.
Additionally, it must include a unique proposal number and remain valid for at least three working days for loans with a tenor of seven days or more, and one working day for loans with a tenor of less than seven days.
Regulated entities must procure an acknowledgment from the borrower confirming their comprehension, said the RBI. The KFS must incorporate a computation sheet detailing the APR and the loan's amortisation schedule throughout its duration. This APR must include all charges imposed by the entity, along with any charges recuperated from borrowers on behalf of third-party service providers, which must be fully disclosed.

Govt aims to make India attractive for manufacturing, services: Sitharaman

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said the Centre has tailored policies to make India an attractive destination for manufacturing and services, and the aim was to produce not just for the domestic market but for exports as well. "Policies have been made to attract investments. We want manufacturers and investors to come and produce not just for India but also for exports. We will try to attract manufacturers and investors through policies," she told reporters. Tesla CEO Musk on Saturday said his visit to India has been delayed due to the company's heavy obligations.
"When big companies show interest to come to India, we will do everything to make it attractive for them to come and invest. In that process, if there is anything to discuss, we will certainly discuss. But whatever we have done, we have done it through policy," Sitharaman added.
Asserting the Union government's approach has helped especially after China plus one started being a concern for many industry experts, she said policies have been tailored in such a way so as to make India an attractive destination for manufacturing and for services.

Speaking about inflation, she said it never crossed the tolerance band, except for one month, under the Narendra Modi government, whereas before that (pre-2014) the economy was in a bad shape and inflation was in double digits. "At that time (pre 2014) nobody had any expectations from the country.
After much hard work, we have emerged as the world's fifth largest economy and are confidently saying we will be third in the next two to two-and-half years," the Union minister said. On employment, Sitharaman said there was lack of complete data from both the formal and informal sectors, but asserted initiatives of the Centre have ensured jobs to lakhs. "The data is inadequate.
I am not saying this pride but while accepting its weakness. All I can say regarding employment is that the money given to people and startups through different schemes...people in crores have availed support. Between October 2022 and November 2023, through the Rozgar Mela, Modi has given government jobs to 10 lakh people," she said.
When asked about the rule that requires larger companies to pay Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) within 45 days of receiving goods or services, Sitharaman said the law has been existence since 2007-08 and is not new. "Later MSMEs themselves came and said the 45-day payment is not happening within that financial year. But within that financial year, this amount is shown as expenditure and to that extent tax is not being paid.
All that we have done through the Finance Act that was passed in Parliament on February 1, 2023," she said. "We just said tax treatment remains the same. Make a claim in the year you pay to the MSMEs. How can you claim when you have not made payment?" she asked.
Queried about the Indian rupee weakening against the US dollar, she said the fluctuation was due to global uncertainty, wars as well as uncertainty in supply of crude oil from the Middle East. Earlier, addressing industry leaders from Gujarat on 'Viksit Bharat -2047', she said 28 per cent of total capital under Production Linked Incentive (PLI) scheme has come to the state, which has shown remarkable alertness in the last 10-12 years.

VK TYRE INDIA LIMITED

Manufacturers & Exporters of:

Automobile & Agriculture Tyres

Sybly Industrial Area, Pawanpuri,Muradnagar- 201206

Mob. No.: 9568129777, 7900200100

Email: info@vktyre.com

Website: www.vktyre.com

So semiconductor manufacturing for India comes first in Gujarat, which has a policy as well as government and ecosystem ready for manufacturing for Viksit Bharat 2047, she said. "The IFSC at GIFT City in Gandhinagar is a big gateway for services to grow in Gujarat. A world-class financial services centre very close to Ahmedabad is just the key for India to reach that kind of global market for attracting more investment and more financial operations," Sitharaman said. She also said Gujarat was in third position in attracting FDI in manufacturing.

CBDT extends deadline for charitable trusts' registration till June 30

The income tax department extended the deadline for charitable and religious trusts to furnish registration application with tax authorities till June 30. The Central Board of Direct Taxes (CBDT) had earlier extended the due date for filing Form 10A, Form 10AB by trusts, institutions and funds multiple times and the last such extension was till September 30, 2023.

"Considering the representations received by CBDT requesting for further extension of due date for filing of such forms beyond the last extended date of September 30, 2023, and with a view to avoid genuine hardships to taxpayers, CBDT has extended the due date of filing Form 10A/Form 10AB up to June 30, 2024," the CBDT said in a statement.

Form 10A is an application form filed by trusts/institutions who wish to get themselves registered for income tax exemption.
Form 10 AB is filed by trusts/institutions to renew their permanent registration.

CBDT further clarified that if any such existing trust, institution or fund had failed to file Form 10A for AY 2022-23 within the extended due date, and subsequently, applied for provisional registration as a new entity and received Form 10AC, can also avail of this opportunity to surrender the said Form 10AC and apply for registration for AY 2022-23 as an existing trust, institution or fund, in Form 10A till June 30, 2024.
Those trusts, institutions or funds whose applications for re-registration were rejected solely on the grounds of late filing or filing under wrong section code, may also submit fresh application in Form 10AB within the extended deadline of June 30, 2024, the CBDT said.

RBI directs lenders to review their lending practices in line with fair practice code

The Reserve Bank of India (RBI) on Monday directed regulated entities to review their lending practices in line with fair practice code after it found that some lenders are resorting to certain unfair practices in charging interest rates, a statement issued by the regulator said.

The RBI said that during the onsite inspection for March 2023 of regulated entities, the RBI came across instances of unfair practice by some lenders regarding charging interest rates.

The regulator pointed out that some lenders charged interest on loans from the date of sanctioning or execution of the loan agreement rather than from the date of disbursement.

RBI also noted that there were cases where loans were disbursed by cheque, and lenders charged interest from the cheque date, whereas the cheque was handed over to the customer several days later.

RBI also directed regulated entities to disburse loans through online account transfers instead of issuing cheques.

The regulator said there are instances where the disbursement or repayment of loans has happened during the month. Yet, some REs charged interest rates for the entire month, rather than charging interest only for the period the loan was outstanding.

There are also cases where the regulated entities have collected one or more instalments in advance but reckoned the full loan amount for charging interest, the regulated stated.

The RBI said the guidelines on the Fair Practices Code issued in 2003 advocated fairness and transparency in charging interest by lenders while providing adequate freedom to lenders on the pricing of the loan.

The regulator stated that such non-standard practices of charging interest rates are not in the spirit of fairness while dealing with customers.

"These are matters of serious concern to the Reserve Bank. Wherever such practices have come to light, RBI, through its supervisory teams, has advised REs to refund such excess interest and other charges to customers," RBI stated.

"All REs are directed to review their practices regarding mode of disbursal of loans, application of interest and other charges and take corrective action, including system-level changes," RBI added.

Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

Nipro PharmaPackaging India is part of Nipro Corporation Japan. Nipro, a global healthcare company employs over 35k colleagues and has a culture of high performance, customer focus, and employee engagement. This has led Nipro PharmaPackaging India to being awarded with the certificate of the Great Place to Work – Oct' 22 – Oct'23. In addition to the above achievement, Nipro PharmaPackaging India has now earned its recognition as being one of the top 50 "India's Best Workplaces in Manufacturing 2023".

Ashish Moghe, the Managing Director of Nipro in India, states, "Nipro's dedication to investing in its workforce is a key factor in its success. In 2022, Nipro PharmaPackaging India gathered further pace in the last year and crossed a few milestones. One such milestone was getting certified as a Great Place To Work! The Great Place to Work® Certification Program is the first step for an organization on its journey of building a High-Trust, High-Performance Culture™ and our organization has successfully accomplished this milestone.

To continue the same path of progress and development for us as individuals and as an organization we also enrolled ourselves for assessment for yet another prestigious certification, which is TOP 50India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. This year, 201 organizations in the Manufacturing sector undertook this assessment. All these organizations underwent a rigorous assessment. The results are finally out, and it gives me an immense amount of joy and pride to share that both plants of Nipro PharmaPackaging India (Meerut & Pune) HAVE WON THIS CERTIFICATION!!

I feel honoured to be a part of such a fantastic team. Looking forward to creating many more milestones"

"We are thrilled to receive the recognition as India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. We are committed to fostering an environment of transparency, teamwork, and participation. Our organization promotes bonding among colleagues and encourages continuous improvement.Our team takes pride in working for a Great Place to Work certified company, and this recognition not only attracts top talent but also builds loyalty among our employees. The Trust Index study conducted by Great Place to Work provides valuable insights for us to improve as an organization. We strive to be an employer of choice and this recognition is a testament to our efforts.", states Mr. Juned Akhtar(General Manager- Human Resource, Nipro PharmaPackaging India Pvt. Ltd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX